

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-15/2014-194 (आवंटन)/कृ., पटना, दिनांक/2-12-2014

MAIL/FAX

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय : बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जनजाति के लिए तत्काल 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9/उपा/बीज (विविध)-32/2014-5510 दिनांक-05.12.2014 द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से अनुसूचित जनजाति के लिए तत्काल 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष- 796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0146 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड P2401007960146, राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR 5017 विषयशीर्ष-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा " में वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि. (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुभाष

विश्वासभाजन

रामजी सिंह

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

194 (ओक्टन)

/कृ., पटना, दिनांक 12-12-2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कई/पा/पा/१७)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

194 (ओक्टन)

/कृ., पटना, दिनांक 12-12-2014

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सम्बन्धित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/उप निदेशक (शष्प) फसल बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कई/पा/पा/१५)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

194 (ओक्टन)

/कृ., पटना, दिनांक 12-12-2014

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(कई/पा/पा/१५)

(कई/पा/पा/१५)
सरकार के संयुक्त सचिव।